



राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018

जयपुर, दिनांक : 27.04.2020

परिपत्र

विषय:—ई—ग्रास पर ई—प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया हेतु एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रक्रिया।

लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई—प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई—निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई—ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत ई—ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की क्रिया विधि निम्नानुसार है :-

1. बिडर द्वारा ई—ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद ई—प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवाया जायेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443-103, 108 एवं 109 में जमा राशि नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा रिफण्ड किये जाने हेतु सिस्टम में व्यवस्था की गयी है। RISL फीस (i) सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग), (ii) निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (iii) वन विभाग की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[03] (वन विभाग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी। बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित राजस्व मद में बिडर द्वारा राशि जमा कराने हेतु ई—ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध रहेगा।
2. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए सभी विभागों हेतु बजट मद 8443-103 जबकि निर्माण कार्यों हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443-108 (निर्माण विभागों) एवं 8443-109 (वन विभाग) में जमा कराने की दशा में डिविजन कोड का चयन ई—ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।

Gur

3. इस प्रक्रिया से जमा राशि का लेखांकन ई-कोषालय के स्तर पर किया जायेगा। ई-ग्रास पर उपलब्ध विभागवार/कार्यालयवार रिपोर्ट्स में जमा राशि से संबंधित रिपोर्ट्स प्रदर्शित की जायेगी।
4. ई-कोषालय में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित बजट मद 8658-00-102-(16)-[01], [02], [03] के अन्तर्गत जमा RISL फीस को माह में दो बार बजट मद 8782-101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से कोषालय (सचिवालय) जयपुर में RISL के पी.डी. खाते में जमा किये जाने हेतु समायोजन बिल के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसे कोषालय (सचिवालय) जयपुर द्वारा उसी माह में मद 8782-101 को माईनस क्रेडिट करते हुए RISL के पी.डी. खाते में अलग-अलग समायोजन बिलों के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। यह सूचना ई-ग्रास से वॉम पर Seamless Data Sharing की व्यवस्था से हस्तांतरित की जायेगी। सिस्टम पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के माध्यम से संबंधित निर्माण खण्ड ई-ग्रास पर जमा राशि व रिफण्ड राशि का स्टेटस भी देख सकते हैं।
5. निर्माण कार्यों से संबंधित बिड हेतु उक्त चालान से संबंधित राशि निर्माण लेखों में फार्म 80 में प्रदर्शित होने पर कोषालयों द्वारा चालान की प्रति प्रत्येक मद में जमा राशि के लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।
6. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बिडर को प्रारम्भ में ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बिड भरने के साथ-साथ ई-ग्रास पर एक चालान के माध्यम से ई-भुगतान का चयन करते हुए अपेक्षित राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को एन.आई.सी. द्वारा ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से ई-ग्रास का इन्टीग्रेशन करते हुए अविलम्ब लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। व्यवस्था स्थापित होने तक बिडर को ई-ग्रास पर भुगतान होने के उपरान्त चालान CIN नम्बर के साथ जनरेट कर ई-प्रोक साईट पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। ई-ग्रास एवं ई-प्रोक्योरमेन्ट का लिंक स्थापित होने के उपरान्त अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा ई-ग्रास सिस्टम ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से बिडर का नाम लेने के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड कोड फेच करेगा तथा बिड फाइनल होने के बाद बिडर का नाम पूर्व के कोड से फलेग करते हुए किया जाना सुनिश्चित करेगा जिससे बिडर को होने वाले रिफण्ड भुगतान में असुविधा न हो। उपापन संस्था द्वारा ई-ग्रास पर कार्यालयवार उपलब्ध रिपोर्ट्स एवं ई-कोषालय के TY-33 से जमाओं का मिलान भी सुनिश्चित किया जावेगा।
7. ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के ई-ग्रास पोर्टल से इन्टीग्रेशन के उपरान्त ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्माण कार्यों से संबंधित बिड भरने हेतु बजट मद 8443-108,109 में बनाये गये चालान की राशि निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रविष्टि एक कोड के साथ एन.आई.सी. वॉम को उपलब्ध करायी जावेगी। बिड खुलने के बाद उक्त प्रविष्टि हेतु संवेदक का नाम एवं अन्य विवरण एन. आई. सी. (वॉम) को उपलब्ध कराया जायेगा।



एनआईसी (वॉम) द्वारा तदनुसार ही प्रविष्टि को निर्माण लेखों में सम्मिलित किया जावेगा, जिसके पश्चात ही बिड सिक्योरिटी राशि रिफण्ड किये जाने हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु ई-ग्रास व ई-प्रोक पोर्टल का इन्टीग्रेशन व लिंक किया जायेगा। ई-प्रोक पोर्टल से भुगतान हेतु संवेदक को ई-ग्रास पर आने का लिंक तथा ई-ग्रास पर भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् ई-प्रोक पोर्टल पर जाने का लिंक भी दिया जायेगा।

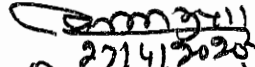
8. ई-प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ई-ग्रास के माध्यम से जनरेट किये जाने पर संबद्ध एजेन्सी बैंक को तीनों बजट मदों की कुल राशि एवं जीआरएन नम्बर के साथ प्रेषित किया जायेगा तथा बैंक द्वारा जमा राशि के स्कॉल दिये जाने पर सिस्टम पर ई-कोषालय को पृथक-पृथक उक्त तीनों मदों में जमा राशि के अनुसार चालान नम्बर जनरेट करने, लेखा सूचियां तैयार करने एवं लेखांकन करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।
9. ई-कोषालय के स्तर पर उक्त जमा राशि का पूर्ण लेखांकन तथा मिलान दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. ई-प्रोक पोर्टल के अतिरिक्त की जाने वाली बिड हेतु (जिनमें RISL Fees जमा नहीं होती) भी बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443-103, 108, 109 व बोली दस्तावेज मूल्य राशि निर्धारित राजस्व बजट मद में जमा कराने हेतु सिंगल चालान से उक्त माध्यम से बिडर/कार्यालय द्वारा जमा करवायी जा सकेगी। इस व्यवस्था में मेन्यूअल एवं ई-मोड उपलब्ध रहेंगे।
11. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।


27/4/2020
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को सिस्टम पर एन.आई.सी. के माध्यम से पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त कोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।


27/4/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 5/2020)